

HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 16 — HLA OF 2024

**THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT)
BILL, 2024**

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2024.
(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 16th August, 2024.
2. In section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973,-
 - (a) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:-

Short title and commencement.

Amendment of section 10 of Haryana Act 24 of 1973.

“(4A) (i) The seats shall be reserved for the Backward Classes ‘B’ in every Municipal Council/Committee and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that Municipal Council/Committee as one-half of the proportion of Backward Classes ‘B’ population to the total population in that Municipal Council/Committee and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more; and such seats shall be allotted by draw of lots among three times of the number of seats, proposed for reservation of Backward Classes ‘B’, after excluding those seats already reserved for Scheduled Castes and Backward Classes ‘A’, drawn from those seats which are having the largest percentage population of Backward Classes ‘B’ and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that the Municipal Council/Committee shall have at least one member belonging to the Backward Classes ‘B’ if their population is two per centum or more of the total population of the Municipal Council/Committee:

Provided further that where the number of seats so reserved for Backward Classes ‘B’ under this sub-section added to the number of seats reserved for the Scheduled Castes and Backward Classes ‘A’ exceeds fifty per centum of the total number of seats in that Municipal Council/Committee, then the number of seats reserved for Backward Classes ‘B’ shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the seats reserved for the Scheduled Castes, Backward Classes ‘A’ and Backward Classes ‘B’ not exceeding fifty per centum of the total seats in that Municipal Council/Committee.

Explanation.- (1) For the purposes of reservation of Backward Classes 'B' under this sub-section, the population of the Municipal Council/Committee area and the population of Backward Classes 'B' in that Municipal Council/Committee shall be such as drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date, as may be notified by the Government.

Explanation.- (2) For the purposes of the second proviso, fifty per centum of the total seats in the Municipal Council/Committee shall be taken as one-half of the total seats of the Municipal Council/Committee rounded up to the next higher integer where the decimal value is 0.5 or more or rounded down to the next lower integer where the decimal value is less than 0.5.

(ii) Not less than one-third of the total number of seats reserved under this sub-section shall be reserved for women belonging to the Backward Classes 'B' and such seats may be allotted by rotation and by lots amongst the wards reserved under this sub-section.”;

(b) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(5) The offices of Presidents in the municipalities shall be filled up from amongst the member belonging to the general category, Scheduled Castes, Backward Classes 'A', Backward Classes 'B' and women by rotation and by lots in the manner as may be prescribed.”.

3. (1) The Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 2024 (Haryana Ordinance No. 2 of 2024), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

Repeal and savings.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The composition of Municipalities is guided by the reservation policy contemplated in Article 243-T of the Constitution of India, wherein clause (6) provides that 'Nothing in this Part shall prevent the Legislature of a State from making any provision for reservation of seats in any Municipality or offices of Chairpersons in the Municipalities in favour of backward class of citizens.' Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment dated 11.05.2010 in *Dr. K. Krishna Murthy & Ors. Versus Union of India & Anr. (2010) 7 SCC 202* while upholding the constitutional validity of the Article 243-T(6) observed that this provision enables State Legislatures to reserve seats and chairperson posts in favour of backward classes.

2. Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment dated 04.03.2021 passed in writ petition (Civil) No. 980 of 2019 titled as *Vikas Kishanrao Gawali Versus State of Maharashtra* and others further observed that the State Legislation cannot simply provide uniform and rigid quantum of reservation of seats for Backward Classes in the Local Bodies across the State, that too without a proper inquiry into the nature and implications of backwardness by an independent Commission. The triple test conditions required to be complied with by the State before reserving seats in the Local Bodies for Backward Classes are as under:-

- (1) To set up a dedicated Commission to conduct contemporaneous rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness qua Local Bodies, within the State;
- (2) To specify the proportion of reservation required to be provisioned, Local Body-wise, in the light of recommendations of the Commission, so as not to fall foul of over breadth; and
- (3) In any case such reservation shall not breach the upper ceiling of 50% vertical reservation in favour of SCs/STs/OBCs taken together.

In another Writ Petition (Civil) No. 278 of 2022 titled '*Suresh Mahajan Versus State of Madhya Pradesh and Another*', the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 10.05.2022, has observed that until the triple test formality is completed 'in all respects' by the State Governments, no reservation for OBCs can be provisioned and directed all the State Governments and the respective State Election Commissions to abide by the same without fail to uphold the constitutional mandate.

Further, Hon'ble Punjab and Haryana High Court passed interim order dated 17.05.2022 in CM-3239-CWP-2022-IN CWP-18977-2021 with CM-3200-CWP-2022-IN CWP-21883-2021 to comply with the orders dated 10.05.2022 passed by the Hon'ble Supreme Court of India.

3. Haryana Backward Classes Commission was constituted vide Government notification dated 12.07.2022 of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, among other functions, to study and recommend the proportion of reservation for backward classes required to be provisioned in Panchayati Raj

Institutions and Municipalities in the State. Earlier, the Haryana Backward Classes Commission recommended to provide reservation for Backward Classes 'A' in the elections of municipalities, which were accepted in Council of Ministers meeting dated 08.05.2023. Accordingly, provision was made under Section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973 vide Act No. 24 of 2023 dated 19.09.2023 that the seat shall be reserved for the Backward Classes 'A' in every municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that municipality as one-half of the proportion of Backward Classes 'A' population to the total population in that municipality.

4. The last census in India in which the data on caste was included was conducted in 1931. Since 1951 every census has published the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes only. Thus figures of population of Backward Classes 'A' are not available in the Census. Government has established Family Information Data Repository (FIDR) under the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) wherein the information about residents of Haryana constituted in families is available which is dynamically updated and periodically verified.

5. Hence, data available in FIDR has been considered for purpose of reservation for Backward Classes 'A' in the elections of municipalities. Reservation of seats for Backward Classes 'A' and fixation of total number of seats for each municipality shall be done on the basis of population figures including that of Backward Classes 'A' drawn from Family Information Data Repository established under the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date as may be notified by the Government.

6. According to elector-population (EP) ratio, for every 1000 persons, the number of eligible electors is nearly 700 in State. As enrolling for Family Id is a voluntary process and there is a likelihood that in certain pockets a majority of residents may not have registered in FIDR, thus it has also been considered that where the population as drawn from Family Information Data Repository is less than 140 per centum of the number of electors registered in such areas as per the last published Electoral Roll, the population shall be considered equal to 140 per centum of the number of voters in the last published Electoral Roll of the area. Further, the limit for variation of population in wards of a municipality has been increased from 10 per centum to 20 per centum above or below the average population per ward by amending the Rule 7 of the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977 in consultation with State Election Commission, Haryana.

7. For incorporating the recommendation of Haryana Backward Classes Commission to provide eight per centum reservation for Backward Classes 'A' in the Offices of Presidents in Municipal Councils and Municipal Committees, a provision has been made under Rule 70A of the Haryana Municipal Election Rules, 1978 in consultation with the State Election Commission, Haryana.

8. Now, the Haryana Backward Classes Commission has also recommended vide its report dated 05.08.2024 to provide the reservation for Backward Classes 'B' in the elections of municipalities to the extent that the number of seats so reserved

shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that municipality as one-half of the proportion of Backward Classes 'B' population to the total population in that municipality. An Ordinance No. 02 of 2024 has been promulgated on dated 16.08.2024 for provisioning the reservation to the Backward Classes 'B' for contesting the elections in Municipal Councils and Municipal Committees.

Further, it has been recommended to provide five per centum reservation for Backward Classes 'B' in the Offices of Presidents in the Municipal Councils and Municipal Committees, for which provision is to be made under Rule 70A of the Haryana Municipal Election Rules, 1978 in consultation with the State Election Commission, Haryana.

9. To comply with the third condition of the triple test laid down by the Hon'ble Supreme Court of India, the total reservation in seats for Scheduled Castes, Backward Classes 'A' and Backward Classes 'B' shall not exceed 50 per centum of the total number of seats in a municipality. If so happens, then firstly the number of seats reserved for Backward Classes 'B' and secondly the seats reserved for Backward Classes 'A' shall be restricted to such largest number that shall lead to total seats reserved for Scheduled Castes, Backward Classes 'A' and Backward Classes 'B' not exceed 50 per centum of the total number of seats in that municipality. The reservation of seats for Backward Classes 'B' for each municipality shall be done on the basis of population figures drawn from Family Information Data Repository established under the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date as may be notified by the Government.

10. Hence, for provisioning the reservation to the Backward Classes 'B' in the seats of each municipality, an amendment in Section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973 is required to be made w.e.f. dated 16.08.2024 i.e. the date to notify the Ordinance No. 2 of 2024.

VIPUL GOEL,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 7th November, 2024

Dr. Satish Kumar,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 7th November, 2024, under proviso to rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE HARYANA MUNICIPAL
ACT, 1973

10. Reservation of seats.-

(1)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
-----	-----	-----	-----	-----	-----

(2)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
-----	-----	-----	-----	-----	-----

(3)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
-----	-----	-----	-----	-----	-----

(4)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
-----	-----	-----	-----	-----	-----

(5) The office of presidents in the municipalities shall be filled up from amongst the members belonging to the general category, Scheduled Castes, Backward Classes 'A' and women by rotation and by lots in the manner prescribed.

(6)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
-----	-----	-----	-----	-----	-----

(7)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
-----	-----	-----	-----	-----	-----

(8)	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
-----	-----	-----	-----	-----	-----

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या 16 एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,
1973 को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह 16 अगस्त, 2024 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में,-

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 10 का संशोधन।

(क) उप-धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(4क) (i) प्रत्येक नगर परिषद्/समिति में पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगर परिषद्/समिति में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस नगर परिषद्/समिति की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या के अनुपात की आधा होंगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग 'क' के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, से प्राप्त पिछड़े वर्ग 'ख' के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की अधिकतम तीन गुणा में से झा ऑफ लॉटस द्वारा आबंटित की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित की जाएंगी :

परन्तु नगर परिषद्/समिति में कम से कम एक सदस्य, पिछड़े वर्ग 'ख' से सम्बन्धित होगा, यदि उनकी जनसंख्या, नगर परिषद्/समिति की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है :

परन्तु यह और कि जहाँ इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस नगर परिषद्/समिति

में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'क' तथा पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस नगर परिषद्/समिति में कुल सीटों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.- (1) इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'ख' के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगर परिषद्/समिति क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगर परिषद्/समिति में पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।

व्याख्या.- (2) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों हेतु, नगर परिषद्/समिति में कुल सीटों का पचास प्रतिशत, जहां दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए अथवा जहां दशमलव मान 0.5 से निम्न है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए, नगर परिषद्/समिति की कुल सीटों के आधे के रूप में ली जाएगी।

(ii) इस उप-धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग 'ख' से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप-धारा के अधीन आरक्षित वार्डों में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आबंटित किया जा सकता है।";

(ख) उप-धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(5) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'क', पिछड़े वर्ग 'ख' तथा महिलाओं से सम्बन्धित सदस्यों में से यथा विहित रीति में चक्रानुक्रम तथा लॉट द्वारा भरे जाएंगे।"।

निरसन तथा
व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243न में वर्णित आरक्षण नीति द्वारा पालिकाओं की संरचना निर्देशित होती है, इसके खंड (6) में प्रावधान है कि "इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी पालिका में स्थानों के या पालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।" भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **डॉ० के० कृष्ण मूर्ति व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2010) 7 एस.सी.सी. 202** के मामले में दिनांक 11.05.2010 के अपने निर्णय में अनुच्छेद 243न (6) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह प्रावधान राज्य विधानमंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों और अध्यक्ष के पद आरक्षित करने में सक्षम बनाता है।

2. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 की याचिका (सिविल) संख्या 980 शीर्षक विकास किशनराव गवाली बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में दिनांक 04.03.2021 को पारित अपने फैसले के माध्यम से आगे कहा कि राज्य विधान, राज्य भर में, एक स्वतंत्र आयोग द्वारा पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की उचित जांच के बिना स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की एक समान और कठोर मात्रा प्रदान नहीं कर सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने से पहले राज्य द्वारा अनुपालन की जाने वाली तीन परीक्षण शर्तों का निम्नानुसार पालन किया जाना अपेक्षित है—

- (1) राज्य में स्थानीय निकायों के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना;
- (2) आयोग की सिफारिशों के दृष्टिगत, स्थानीय निकाय-वार प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण के अनुपात को विनिर्दिष्ट करना, ताकि अत्याधिकता न हो; और
- (3) किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में 50 प्रतिशत ऊर्ध्वार आरक्षण की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा।

एक अन्य याचिका (सिविल) संख्या 278 का 2022 शीर्षक 'सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य', में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.2022 में कहा गया है कि जब तक राज्य सरकारों द्वारा 'सभी तरह से' ट्रिपल टैस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं की जाती है, तब तक राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता है और सभी राज्य सरकारों व सम्बन्धित राज्य चुनाव आयोगों को संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए इसका पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

आगे, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 18977-2021 में सी.एम.-3239-सी.डब्ल्यू.पी.-2022 के साथ सिविल याचिका संख्या 21883-2021 में सी.एम.-3200-सी.डब्ल्यू.पी.-2022 में दिनांक 17.05.2022 को पारित अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2022 को पारित किए आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए गये हैं।

3. सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.07.2022 द्वारा, अन्य कार्यों के साथ-साथ, राज्य में, पंचायती राज संस्थाओं और

पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए किए जाने वाले प्रावधान में आरक्षण के अनुपात का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इससे पहले, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने पालिकाओं के चुनावों में पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की थी, जिसे मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 08.05.2023 में स्वीकार कर लिया गया था। तदानुसार, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा-10 के तहत 2023 के अधिनियम संख्या 24 दिनांक 19.09.2023 के तहत प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक पालिका में पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस पालिका में कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस पालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़ा वर्ग 'क' की जनसंख्या के अनुपात की आधी होंगी।

4. भारत में अंतिम जनगणना जिसमें जाति आधारित आंकड़ें शामिल किये गये थे, 1931 में की गई थी। 1951 के बाद से प्रत्येक जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रकाशित की गई है। इस प्रकार जनगणना में पिछड़ा वर्ग 'क' की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत परिवार सूचना डाटा कोष (एफ.आई.डी.आर.) की स्थापना की है, जिसमें परिवारों में गठित हरियाणा के निवासियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है जिसे गतिशील रूप से अद्यतन और समय-समय पर सत्यापित किया जाता है।

5. इसलिए, पालिकाओं के चुनावों में पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षण के प्रयोजनार्थ एफ.आई.डी.आर. में उपलब्ध आंकड़ों पर विचार किया गया है। पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए सीटों का आरक्षण और प्रत्येक पालिका के लिए पिछड़े वर्ग 'क' सहित सीटों की कुल संख्या, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या के आधार पर नियत की जाएगी।

6. मतदाता-जनसंख्या (ईपी) अनुपात के अनुसार, राज्य में, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर योग्य मतदाताओं की संख्या लगभग 700 है। चूंकि, परिवार पहचान पत्र के लिए नामांकन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और इस बात की संभावना है कि कुछ क्षेत्रों में अधिकांश निवासियों ने एफ.आई.डी.आर. में पंजीकरण नहीं कराया हो, इस प्रकार यह भी विचार किया गया है कि जहां परिवार सूचना डाटा कोष से ली गई जनसंख्या, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत से कम है, तो क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत के बराबर जनसंख्या पर विचार किया जाएगा। आगे, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के परामर्श से हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 के नियम 7 में संशोधन करके पालिका के वार्डों में जनसंख्या भिन्नता की सीमा को प्रति वार्ड औसत जनसंख्या से ऊपर या नीचे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है।

7. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पदों में पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आठ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के परामर्श से, हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 70क के तहत प्रावधान किया गया है।

8. अब, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 के माध्यम से पालिकाओं के चुनावों में पिछड़ा वर्ग 'ख' के लिए भी आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है कि प्रत्येक पालिका में पिछड़ा वर्ग 'ख' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस पालिका में कुल सीटों की संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस पालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़ा वर्ग 'ख' की जनसंख्या के अनुपात की आधी होंगी। नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों में पिछड़ा वर्ग 'ख' को आरक्षण का प्रावधान करने के लिए दिनांक 16.08.2024 को अध्यादेश क्रमांक 2024 का 2 प्रख्यापित किया गया है।

आगे, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के कार्यालयों में पिछड़ा वर्ग 'ख' के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की गई है, जिसके लिए राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा के परामर्श से, हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम.70क के तहत प्रावधान किया जाना है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ट्रिपल टैस्ट की तीसरी शर्त के अनुपालन में, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग 'क' तथा पिछड़ा वर्ग 'ख' के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या, पालिका में कुल सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि ऐसा होता है तो प्रथम पिछड़ा वर्ग 'ख' तथा तदोपरान्त पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग 'क' तथा पिछड़ा वर्ग 'ख' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, उस पालिका में कुल सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पिछड़ा वर्ग 'ख' के लिए प्रत्येक पालिका में सीटों का आरक्षण, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए को, हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष पर उपलब्ध है, की जनसंख्या के आधार पर नियत की जाएगी।

10. इसलिए, प्रत्येक पालिका की सीटों में पिछड़े वर्गों 'ख' के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के लिए, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन किया जाना आवश्यक है, जोकि दिनांक 16.08.2024 से यानी अध्यादेश क्रमांक 2024 के 2 को अधिसूचित करने की तारीख से प्रभावी होगा।

विपुल गोयल,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 7 नवम्बर, 2024.

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 7 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 से उद्धरण

10. स्थानों का आरक्षण.-

(1) XXX XXX XXX XXX XXX

(2) XXX XXX XXX XXX XXX

(3) XXX XXX XXX XXX XXX

(4) XXX XXX XXX XXX XXX

(5) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद सामान्य प्रवर्ग, अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग 'क' से सम्बन्धित सदस्यों तथा महिलाओं में से चक्रानुक्रम तथा लॉट द्वारा विहित रीति में भरे जायेंगे।

(6) XXX XXX XXX XXX XXX

(7) XXX XXX XXX XXX XXX

(8) XXX XXX XXX XXX XXX